

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

1 श्रीप्रसिंह पुत्र ओमप्रकाश

बनाम

1 श्रीम प्रकाश पुत्र बाधुराम

जाति खाली साठ गांधीवडी

2. कृष्ण कुमार

3. वैभीलाल

4. गडडी

5. दुर्गा

6. मधु

पुत्र ओमप्रकाश,  
जाति खाली  
नि. गांधीवडी


दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 164/2019

निर्णय दिनांक :- 01/11/2021

वादी की ओर से वकील श्री लिलाधर अग्रवाल की व प्रतिवादी सं० 1 ता 6 की ओर से वकील श्री खुरेन्द्र गडवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01/11/2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 35DR के खाल सं० 12/12 के सं० न० 25 के खाल न. 16, 25, 26, 20, 21, 22, 33, 1, 10, 11, 20, 21, 34, 5, 6, 15, 16, 46, 3/2, 8/2, 13, 18, 19/1, 22, 23 = 4.82 हे० तथा चक 55DR के खाल सं० 19/18, 32, 12/2, 13, 18, 19/2, 22/2, 23 कुल 1/1370 हे० दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो प्रतिवादी सं० 1 श्रीम प्रकाश के नाम दर्ज है में तथा प्रतिवादी सं० 1 श्रीम प्रकाश की बजाय वाकी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 को बंध हिस्सा जरावर के खातेकार काश्कार लोहित किये जाते हैं। -यूँकि प्रतिवादी सं० 4 ता 6 ने अपना एक हिस्सा वाकी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3, के पक्ष में त्याग कर शून्य कर दिया है। इसलिए त्याग किये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देख पंजीयन शुल्क व स्टांप ड्यूटी आका काने व यदि क्वि सूति के के रकम है तो रकम भुक्त होने के अघरांत उपरोक्तानुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड कर संजोचित रिकार्ड किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुन्तला चौधरी)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)